

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह
अपर मुख्य सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1- राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद,
लखनऊ।
- 2- राज्य परियोजना निदेशक,
उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा अभियान,
लखनऊ।
- 3- निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
उ०प्र० लखनऊ।

APD/S. (जा.) / P.C. [संकेत]
[संकेत]

11/6/18

शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 08 जून, 2018

विषय- नवीन केन्द्र पुरोनिधानित योजना समग्र शिक्षा अभियान - इन्टीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन के संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 03.04.2018 द्वारा वर्ष 2018-19 से तीन केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं-सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा टीचर एजुकेशन को समेकित करते हुए नवीन केन्द्र पुरोनिधानित योजना 'समग्र शिक्षा अभियान- इन्टीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन' संचालित करने के निर्देश दिये गये हैं। नवीन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य फण्डिंग पैटर्न 60:40 निर्धारित किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि, समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम एक सोसायटी द्वारा संचालित किया जायेगा तथा उसी सोसायटी के द्वारा वार्षिक कार्ययोजना 2018-19 का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जायेगा और अनुदान की प्राप्ति, व्यय, लेखो आदि का रख-रखाव किया जायेगा। चूंकि केन्द्र सरकार का बजट पूर्व में पारित हो चुका है, अतः वर्ष 2018-19 हेतु तीनों योजनाओं के बजट शीर्ष पूर्व की भांति रहेंगे किन्तु वर्ष 2019-20 से बजट शीर्ष परिवर्तित हो जायेंगे। नवीन सोसायटी उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद् के संस्थापक सदस्य अपर मुख्य सचिव, बेसिक/ माध्यमिक शिक्षा, सचिव, बेसिक/ माध्यमिक शिक्षा, राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान तथा निदेशक, माध्यमिक/बेसिक/एस०सी०ई०आर०टी० होंगे।

2- उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समग्र शिक्षा अभियान -इन्टीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन के अन्तर्गत अधिकांश कार्य जैसे-सर्व शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन एवं बजट बेसिक शिक्षा से संबंधित होने के कारण सोसायटी को बेसिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान की सोसायटी- उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद् को लीड सोसायटी मानते हुए, नवीन कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन तथा उ०प्र०

1062
12-06-18

IMP

ICC Planning

APD

11-6-18

109

an
10/6/18

माध्यमिक शिक्षा अभियान को संचालित करने हेतु समग्र शिक्षा अभियान-इन्टीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन को अधिकृत किया जाता है।

3- उक्त के साथ ही सर्व शिक्षा अभियान की सोसायटी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की सोसायटी तथा टीचर एजुकेशन से संबंधित प्रावधानों एवं व्यवस्था को समाहित करते हुए मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन/विस्तारीकरण करा लिया जाये। तदनुसार विहित प्रक्रिया के अनुसार उ०प्र०-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद् के वर्तमान मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन एवं बाइलाज में आवश्यक संशोधन/विस्तारीकरण हेतु संशोधित मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन एवं बाइलाज हेतु रजिस्ट्रार पंजीयन से पंजीकरण कराने की कार्यवाही तत्काल की जाये।

4- उ०प्र०-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद् के वर्तमान मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन एवं बाइलाज के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित रखे जायें :-

- (क) सोसायटी का नाम : उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्
(ख) योजना का नाम : समग्र शिक्षा अभियान-इन्टीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन, उ०प्र०
(ग) सोसायटी का पता : शिविर कार्यालय, शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र०, निशातगंज, लखनऊ

(घ) उद्देश्य:

- प्रदेश में कक्षा 1-12 के विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु कार्यक्रम एवं टीचर एजुकेशन कार्यक्रम को संचालित करना।
- भारत सरकार के निर्देशानुसार समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित कार्यक्रमों को प्रदेश में लागू करना।
- परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के पदों का सृजन एवं परिषद् के नियमों के अन्तर्गत भुगतान की व्यवस्था करना।
- परिषद् के नियम एवं विनियम बनाया जाना।
- वार्षिक कार्ययोजना की संरचना, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, भारत सरकार में प्रस्तुत करना, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण आदि करना।
- शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार कार्यक्रम लागू करना।
- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के सापेक्ष अनुदान की प्राप्ति, व्यय, रख-रखाव आदि की व्यवस्था करना।
- परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट एवं आडिट रिपोर्ट तैयार करना।
- समग्र शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना।
- प्रशासनिक तंत्र एवं प्रणाली को स्थापित करना यथा जनपद स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जिला परियोजना कार्यालय, विकास खंड स्तरीय तंत्र की स्थापना, शैक्षिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, शिक्षकों आदि का सहयोग प्राप्त करना।

(च) उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्

- | | |
|--|------------------|
| 1. मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० | प्रेसिडेन्ट |
| 2. मा० मंत्री, माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र० | वाइस-प्रेसिडेन्ट |
| 3. मा० मंत्री, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० | वाइस-प्रेसिडेन्ट |
| 4. मा० वित्त मंत्री, उ०प्र० | सदस्य पदेन |
| 5. मा० मंत्री, ग्राम्य विकास, उ०प्र० | सदस्य पदेन |
| 6. मा० मंत्री, पंचायती राज, उ०प्र० | सदस्य पदेन |

7.	मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन	सदस्य पदेन
8.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन	सदस्य पदेन
9.	प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/नियोजन/वित्त/महिला एवं बाल विकास/दिव्यांग कल्याण/समाज कल्याण	सदस्य पदेन
10.	निदेशक, बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/एस०सी०ई०आर०टी०/साक्षरता/महिला एवं बाल विकास	सदस्य पदेन
11.	सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्/माध्यमिक शिक्षा परिषद्	सदस्य पदेन
12.	भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
13.	निदेशक, एन०सी०ई०आर०टी०/एन०सी०टी०ई०	सदस्य
14.	कुलपति, न्यूपा	सदस्य
15.	दो जनपदों के जिलाधिकारी	सदस्य
16.	स्वैच्छिक संस्थाओं के दो प्रतिनिधि	सदस्य
17.	राज्य परियोजना निदेशक	सदस्य-सचिव पदेन

(छ) परिषद् की कार्यकारी समिति

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष पदेन
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा	उपाध्यक्ष पदेन
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा	उपाध्यक्ष पदेन
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/पंचायती राज/ग्राम्य विकास/समाज कल्याण/दिव्यांग कल्याण/महिला एवं बाल विकास	सदस्य पदेन
5.	निदेशक, बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/एस०सी०ई०आर०टी०/साक्षरता/महिला एवं बाल विकास	सदस्य पदेन
6.	सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्/माध्यमिक शिक्षा परिषद्	सदस्य पदेन
7.	भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	निदेशक, एन०सी०ई०आर०टी०/एन०सी०टी०ई०-प्रतिनिधि	सदस्य
9.	कुलपति, न्यूपा/प्रतिनिधि	सदस्य
10.	स्वैच्छिक संस्थाओं के दो प्रतिनिधि	सदस्य
11.	राज्य परियोजना निदेशक	सदस्य-सचिव पदेन

(ज) परिषद् के अधिकारी एवं प्राधिकारी

- परिषद् के प्रेसिडेन्ट एवं वाइस प्रेसिडेन्ट,
- कार्यकारी समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष,
- राज्य परियोजना निदेशक- राज्य परियोजना निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। राज्य परियोजना निदेशक के नियंत्रणाधीन अपर राज्य परियोजना निदेशक (एस०एस०ए०), अपर राज्य परियोजना निदेशक (आर०एम०एस०ए०), अपर परियोजना निदेशक (टीचर एजुकेशन) कार्य करेंगे।
- कार्यकारी समिति द्वारा बनाई गई अन्य कोई अथोरिटीज़।

5- योजना के क्रियान्वयन में विकेन्द्रीकरण प्रणाली पर बल दिया जायेगा। इस संबंध में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य परियोजना निदेशक, अपर राज्य परियोजना निदेशक, जिलाधिकारी आदि के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन कार्यकारी समिति द्वारा किया जायेगा।

- 6- जनपद स्तर पर समग्र शिक्षा अभियान की कार्ययोजना एवं बजट की संरचना, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा। जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन, कार्य, अधिकार, दायित्व आदि का निर्धारण कार्यकारी समिति द्वारा किया जायेगा।
- 7- समग्र शिक्षा अभियान का नवीन खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में मुख्यालय, जनपद, विकास खण्ड आदि स्तर पर खोला जायेगा जिसके माध्यम से भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान का अन्तरण किया जायेगा। नवीन खाता खोलने हेतु बैंक का निर्धारण कार्यकारी समिति द्वारा किया जायेगा। समग्र शिक्षा अभियान का नवीन खाता वित्त विभाग की सहमति से खोला जायेगा तथा जब तक नवीन खाता संचालित नहीं होता है, तब तक सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत खुले खातों का प्रयोग नवीन समग्र शिक्षा अभियान योजना के संचालन हेतु किया जा सकता है।
- 8- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व से कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व से कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा टीचर एजुकेशन अन्तर्गत पूर्व से कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यथावत नवीन कार्यक्रम-समग्र शिक्षा अभियान हेतु उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद् के अन्तर्गत पूर्व की सेवाशर्तों के अधीन समायोजित/आमेलित किया जायेगा।
- 9- समग्र शिक्षा अभियान-इन्टीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन, उ०प्र० की नवीन सोसायटी हेतु मुख्यालय एवं जिला स्तर पर किसी अतिरिक्त पद का सृजन नहीं किया जायेगा, भविष्य में आवश्यकतानुसार वित्त विभाग की सहमति से कार्यवाही की जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन तथा उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा अभियान को एक में ही समाहित किये जाने के फलस्वरूप विभिन्न स्तरों पर पदों की संख्या में कमी होना संभावित है। अतः इस दृष्टिकोण से पुनः परीक्षण करते हुए आवश्यक पदों को ही बनाये रखे जाने के लिए राज्य सरकार के अनुमोदन से कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- 10- दिनांक 31.03.2018 तक की परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों का निस्तारण यथारिथति सर्व शिक्षा अभियान की सोसायटी उ०प्र०-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की सोसायटी तथा एस०सी०ई०आर०टी० द्वारा किया जायेगा। इसके पश्चात की परिसम्पत्ति एवं देनदारियों के लिए नवीन सोसायटी उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद् उत्तरदायी होगी।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,


(राज प्रताप सिंह)
 अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, प्रथम, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- अध्यक्ष/निदेशक, एन०सी०ई०आर०टी०, हंस भवन, विंग-2, 1-बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
- 3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र० शासन।

6- जनपद स्तर पर समग्र शिक्षा अभियान की कार्ययोजना एवं बजट की संरचना, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा। जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन, कार्य, अधिकार, दायित्व आदि का निर्धारण कार्यकारी समिति द्वारा किया जायेगा।

7- समग्र शिक्षा अभियान का नवीन खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में मुख्यालय, जनपद, विकास खण्ड आदि स्तर पर खोला जायेगा जिसके माध्यम से भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान का अन्तरण किया जायेगा। नवीन खाता खोलने हेतु बैंक का निर्धारण कार्यकारी समिति द्वारा किया जायेगा। समग्र शिक्षा अभियान का नवीन खाता वित्त विभाग की सहमति से खोला जायेगा तथा जब तक नवीन खाता संचालित नहीं होता है, तब तक सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत खुले खातों का प्रयोग नवीन समग्र शिक्षा अभियान योजना के संचालन हेतु किया जा सकता है।

8- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व से कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व से कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा टीचर एजुकेशन अन्तर्गत पूर्व से कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यथावत नवीन कार्यक्रम-समग्र शिक्षा अभियान हेतु उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद् के अन्तर्गत पूर्व की सेवाशर्तों के अधीन समायोजित/आमेलित किया जायेगा।

9- समग्र शिक्षा अभियान-इन्टीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन, उ०प्र० की नवीन सोसायटी हेतु मुख्यालय एवं जिला स्तर पर किसी अतिरिक्त पद का सृजन नहीं किया जायेगा, भविष्य में आवश्यकतानुसार वित्त विभाग की सहमति से कार्यवाही की जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन तथा उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा अभियान को एक में ही समाहित किये जाने के फलस्वरूप विभिन्न स्तरों पर पदों की संख्या में कमी होना संभावित है। अतः इस दृष्टिकोण से पुनः परीक्षण करते हुए आवश्यक पदों को ही बनाये रखे जाने के लिए राज्य सरकार के अनुमोदन से कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

10- दिनांक 31.03.2018 तक की परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों का निस्तारण यथास्थिति सर्व शिक्षा अभियान की सोसायटी उ०प्र०-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की सोसायटी तथा एस०सी०ई०आर०टी० द्वारा किया जायेगा। इसके पश्चात की परिसम्पत्ति एवं देनदारियों के लिए नवीन सोसायटी उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद् उत्तरदायी होगी।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, प्रथम, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- अध्यक्ष/निदेशक, एन०सी०टी०ई०, हंस भवन, विंग-2, 1-बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
- 3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र० शासन।

- 5- संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 6- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
- 7- प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/नियोजन/वित्त/महिला एवं बाल विकास/दिव्यांग कल्याण विभाग/समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 8- कुलपति, एन0यू0ई0पी0ए0, 17-बी, अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 11- निजी सचिव, मा0 मंत्री, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/वित्त/ग्राम विकास/पंचायती राज, उ0प्र0।
- 12- निदेशक, बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/साक्षरता/महिला एवं बाल विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
- 13- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 14- समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
- 15- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 16- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा निदेशालय/बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 17- वित्त नियंत्रक, सर्व शिक्षा अभियान/माध्यमिक शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ।
- 18- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 19- समस्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 20- शिक्षा अनुभाग-4, 7, बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
- 21- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
 7791/01.6.2018
 (ममता श्रीवास्तव)
 संयुक्त सचिव।